कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, भरतपुर

क्रमांकः–मुजिशिअ/भरत/सामान्य/विद्या संबल योजना/2026/1130 दिनॉक :– 13.11.2026

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवतापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उदेश्य से **विद्या संबल योजना** के अन्तर्गत श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्र कमांक – F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(2) वित्त/सावितेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के **द्वितीय चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **गेस्ट फैकल्टी** के रूप में **पूर्णतः अस्थाई** तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए–

क.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/ निजी अभ्यर्थी लगाए जावेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे,बशर्ते उसके द्वारा आवेदित पद की न्यूनतम बांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होगें।
5. भाषा विषयों को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियोंः

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा ।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन :–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / यूसीईईओ विद्यालय के **नोटिस बोर्ड क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान** , जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा ।

(4) आवेदन प्रकिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत शिक्षक / निजी अभ्यर्थी,जो उस पद की पात्रता रखते हो,निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र,समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय – सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/यूसीईईओ को स्वंय व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगें।

(5) वरीयता का निर्धारण :–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची का निर्धारण पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जावेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा ।

(6) चयन सूची का अनुमोदनः– उक्तानुसार 01 पद हेतु 03–03 अभ्यर्थियों की चयन सूची का अनुमोदन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 4(ख) में उल्लेखित जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से करवाया जावेगा,

जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगीः–

क.सं.	पदनाम	विवरण
1.	जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	विभागीय नॉडल अधिकारी एवं सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य सचिव

(7)परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी । जिला स्तरीय परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिऐ जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(8)विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेयः–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू	30000 रू

(9)अन्य शर्तेः–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/ यूसीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे ।

ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी कमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027) तक अथवा नियमित प्रकिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो,तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

iv. उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों / सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा– निर्देशों के अध्यधीन रखा जावेगा,जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/ यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता,दुराचरण,अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/यूसीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

vii. यदि शिक्षा स्नातक,अधिस्नातक में अंकों के स्थान पर ग्रेड अंकित है तो उक्त की अंकतालिका की दोनो तरफ से छायाप्रति प्राप्त करें।अथवा ग्रेड जिस आधार अथवा सूत्र से निर्धारित की है ,का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

viii. स्नातक,अधिस्नातक के माध्यम (यदि संबंधित अंकतालिका में माध्यम अंकित नहीं है तो) को निर्धारित करने वाला सक्षम स्तर से जारी प्रमाण प्राप्त करें।

(10)कार्यक्रम एवं समय सारणी:–(ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	19.11.2026
2.	यूसीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	21.11.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	23.11.2026 से 25.11.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (यूसीईईओ स्तर)	26.11.2026 (सायं 04.00 बजे तक)
5.	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियॉ मांगना	27.11.2026 से 28.11.2026 तक (दोपहर 02 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों से प्राप्त आपतियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना ।	30.11.2026 (सायं 06.00 बजे तक)
7.	यूसीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	01.12.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	02.12.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
9.	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची परीक्षण उपरांत संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना	03.12.2026 (दोपहर 12.00 बजे तक)
10	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची का अनुमोदन	04.12.2026 (सांय 5.00 बजे तक)
11	आदेश जारी करना	04.12.2026 (रात्रि 11.59 पी0एम0 तक)

नोट– कार्यक्रम एवं समय–सारणी Indicative हैं । संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

13/11/2026

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर राज0

क्रमांकः–मुजिशिअ/भरत/सामान्य/विद्या संबल योजना/2026/ 1131-1143 **दिनॉक :–** 13.11.2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक महोदय,माननीय शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव महोदय,अतिरिक्त मुख्य सचिव,स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान , जयपुर।

3. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय,शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, (प्रशिक्षण / कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, भरतपुर संभाग भरतपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला भरतपुर।
11. समस्त यूसीईईओ / प्रधानाचार्य जिला भरतपुर ।
12. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एमआईएस कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

13/11/2024

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, भरतपुर

विद्या संबल योजना हेतु व्याख्याता के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	पदनाम	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कक्षा 11 व 12 मे माध्यम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ROOPWAS	GSSS ROOPWAS	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1	हिन्दी
2	ROOPWAS	GSSS ROOPWAS	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1	हिन्दी
3	BAYANA	PM SHRI GSSS BAYANA (217402)	Lecturer (I Gr.)	COMMERCE (ACCOUNTANCY)	1	0	1	हिन्दी
4	BAYANA	PM SHRI GSSS BAYANA (217402)	Lecturer (I Gr.)	ECONOMICS (COMMERCE)	1	0	1	हिन्दी
5	BAYANA	PM SHRI GSSS BAYANA (217402)	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	5	4	1	हिन्दी
6	BAYANA	PM SHRI GSSS BAYANA (217402)	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	5	3	2	हिन्दी
7	UCHAIN	PM SHRI SHAHID RAMBABU GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UCHCHAIN (217410)	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1	हिन्दी
8	UCHAIN	PM SHRI SHAHID RAMBABU GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UCHCHAIN (217410)	Lecturer (I Gr.)	BIOLOGY	1	0	1	हिन्दी
9	WEIR	PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL WEIR (217343)	Lecturer (I Gr.)	English Literature	1	0	1	हिन्दी
10	NADBAI	MGGS NADBAI	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	1	0	1	अंग्रेजी
11	NADBAI	MGGS NADBAI	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	1	0	1	अंग्रेजी
12	Sewar	PM SHREE GSSS SEWAR	Lecturer (I Gr.)	COMMERCE (BUSINESS STUDIES)	1	0	1	हिन्दी
13	Sewar	PM SHREE GSSS SEWAR	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	1	0	1	हिन्दी
14	Sewar	PM SHREE GSSS SEWAR	Lecturer (I Gr.)	SPECIAL EDUCATION	1	0	1	हिन्दी
15	Sewar	MA GSSS Bharatpur	Lecturer (I Gr.)	COMMERCE (BUSINESS STUDIES)	1	0	1	हिन्दी
16	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	HINDI	4	3	1	हिन्दी
17	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	ENGLISH	3	1	2	हिन्दी
18	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	PHYSICS	2	1	1	हिन्दी
19	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	CHEMISTRY	4	3	1	हिन्दी
20	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	SANSKRIT	1	0	1	हिन्दी
21	BHUSAWAR	PMSHRI SJP GSSS BHUSAWAR(217345)	Lecturer (I Gr.)	Economics (Arts Stream)	1	0	1	हिन्दी

13/11/2026

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर

Urdu Literature
0

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, भरतपुर

विद्या संबल योजनान्तर्गत विषयवार प्राध्यापक रिक्तियों की सूचना

क्र.सं.	विषय	जिला	योग
		भरतपुर	
1	Agriculture Science (Agriculture Stream)	0	0
2	Biology (Science Stream)	1	1
3	Chemistry (Science Stream)	4	4
4	Commerce (Accountancy)	1	1
5	Commerce (Business Studies)	2	2
6	Drawing	0	0
7	Economics (Commerce Stream)	1	1
8	English (Compulsary)	4	4
9	Geography	0	0
10	Hindi (Compulsary)	0	0
11	Hindi Literature	1	1
12	History	0	0
13	Mathematics (Science Stream)	0	0
14	Physics (Science Stream)	5	5
15	Political Science	0	0
16	Sanskrit Literature	1	1
17	Urdu Literature	0	0
18	Home Science	0	0
19	sociology	0	0
20	Chemistry (Agriculture Stream)	0	0
21	Economics (Arts Stream)	1	1
22	Informatic Practice	0	0
23	Physical Education	0	0
24	Special Educaton	1	1
25	English Literature	1	1

18/11/2025

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, भरतपुर

विद्या संबल योजनान्तर्गत विषयवार प्राध्यापक रिक्तियों की सूचना

क्र.सं.	जिला	विषय																							
		Agriculture Science (Agriculture Stream)	Biology (Science Stream)	Chemistry (Science Stream)	Commerce (Accountancy)	Commerce (Business Studies)	Drawing	Economics (Commerce Stream)	English (Compulsary)	Geography	Hindi (Compulsary)	Hindi Literature	History	Mathematics (Science Stream)	Physics (Science Stream)	Political Science	Sanskrit Literature	Urdu Literature	Home Science	Sociology	Chemistry (Agriculture Stream)	Economics (Arts Stream)	Informatic Practice	Physical Education	Special Educaton	English Literature
1	भरतपुर	0	1	4	1	2	0	1	4	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1

18/11

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा भरतपुर